

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट

बीकानेर की क्ले खदानों से रोज 400 ट्रक निकलते थे, अब 50-60 ही गुजरात के मोरबी जा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है। गुजरात के मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे वहां के व्यवसायियों ने ऑर्डर कैंसिल कर बीकानेर से क्ले मंगाना बंद कर दिया है। बीकानेर से रोजाना 400 ट्रक क्ले गुजरात जाते थे और अब 50-60 ही रह गए हैं।

टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद के लिए सबसे जरूरी खनिज “बॉल क्ले” को बीकानेर में करीब 241 खानें हैं। यहां से हर साल 40 लाख टन क्ले गुजरात के सिरेमिक हब मोरबी भेजी जाती है, जहां टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे मोरबी में सालाना

■ मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद

■ बीकानेर का क्ले व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ाया, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब सात लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हुआ

60 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। पिछले 25 दिन से चल रहे युद्ध के कारण मोरबी में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। अब फैक्ट्री मालिकों ने बीकानेर के खान मालिकों को माल भेजने से मना कर दिया है। अब 50-60 ट्रक ही मोरबी जा रहे हैं। ये गाड़ियां भी मोरबी में वे लोग मंगा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक था। अगर युद्ध लंबा चला तो बीकानेर से क्ले का डिस्पैच पूरी तरह बंद हो जाएगा। बीकानेर का क्ले

व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ा गया है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब 7 लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

देश में करीब सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली 1000 इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश गुजरात के मोरबी में ही हैं। करीब 25 इकाइयां राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हैं। प्रत्येक इकाई रोजाना औसतन 20,000 वर्ग मी. टाइल्स का उत्पादन करती है। इसके लिए रोजाना 25 मीट्रिक टन

पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता होती है। आपूर्ति में रुकावट से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने से बड़ा आर्थिक और रोजगार संकट खड़ा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हो गई है। डॉलर महंगा होने और ईंधन लागत बढ़ने से आयातित कच्चे माल महंगे हो गए हैं। सिरेमिक उत्पाद का 30 प्रतिशत निर्यात होता है।

क्ले व्यवसायी राजेश चूरा का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो जल्दी ही खानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो करीब 7 लाख लोग प्रभावित होंगे। क्ले की एक खान से कम से कम 3000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। बीकानेर में 241 खानें हैं तो उनसे जुड़े लोगों से कम होना जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

रहे हैं, वो भी जल्दी ही बंद कर देंगे। मनोज एरवाड़ियां, सिरेमिक एसेसिएशन अध्यक्ष, मोरबी, गुजरात ने बताया कि मोरबी में टाइल्स और सिरेमिक की करीब 600 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। जब तक गैस की किल्लत दूर नहीं हो जाती, इन्हें शुरू करना मुश्किल होगा। बीकानेर के क्ले व्यवसायियों को डिस्पैच रोक देने के लिए कहा गया है। जिन फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक है, केवल वही क्ले मंगा रहे हैं। गैस आपूर्ति शुरू सुचारु होने के बाद भी सिरेमिक व्यवसाय पटरी पर आने में 4-6 माह का समय लगेगा। एमपी पुरोहित, खनिज अभियंता, बीकानेर का कहना है कि रवना और उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक क्ले का डिस्पैच सामान्य से कम होना जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

पोकरण : सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आठ घायल

चाचा गांव के नजदीक बोलरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई

पोकरण, (निसं)। पोकरण के पास चाचा गांव के नजदीक बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में दस लोग सवार थे। घायलों में 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल हैं। हादसा सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ, जिसमें तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। हादसे में मृतकों की पहचान मोहन सिंह और गोपाल सिंह के रूप में हुई है। सभी घायल थर्डर्यात गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रामदेवरा

■ सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

से एक शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पोकरण के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार पोकरण में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

श्रीगंगानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली

कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में चैतानी दी गई थी

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीगंगानगर में कोर्ट के पास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। बुधवार सुबह बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंच गया और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसपी समेत पुलिस जांबा भी मौके पर पहुंचा। डींग स्वाड और बमनिरोधक टीम ने कोर्ट के चम्पे-चम्पे की गहन तलाशी ली। सी और डी ब्लॉक के चैबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष समेत पूरे परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया। पत्र भेजने वाले का पता

■ बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंचा और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी

■ बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया

लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कोलकाता के एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजे गए धमकी पत्र को ट्रेसिंग के लिए सायबर सेल और पोस्टल विभाग की मदद ली जा रही है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। कोर्ट परिसर में एट्टी और मोर्चा जांच कड़ी कर दी गई है। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, 15 दिन पहले यानी 10 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे श्रीगंगानगर के पासपोस्ट ऑफिस (पोस्ट ऑफिस परिसर में स्थित) को भी बम से उड़ाने की ई-मेल धमकी मिली थी। उस समय भी बीकानेर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन ऑफिस पर सामान्य कामकाज शुरू कर दिया।

उदयपुर के भल्लों का गुडा में पिंजरे में कैद हुआ लैपर्ड

कई दिनों से लैपर्ड पशुओं का शिकार कर रहा था

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के पास भल्लों का गुडा इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहा लैपर्ड आखिरकार बुधवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में राहत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार कुराबड़ मार्ग पर स्थित इस गांव में कई दिनों से लैपर्ड का लगातार विचरण देखा जा रहा था। रात के अंधेरे में वह बस्ती के करीब पहुंचकर आसपास के पशुओं का शिकार कर रहा था। इससे ग्रामीणों का डर इतना बढ़ गया था कि शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलने से करारने लगे थे। लगातार शिकायतों और लोगों में फैले भय को देखते हुए वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह ग्रामीणों को पिंजरे से गुराहट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो

■ वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था, जिसमें लैपर्ड कैद हो गया

लैपर्ड पिंजरे में फंस चुका था। सूचना मिलते ही वनपाल रीना कुंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और लैपर्ड को सुरक्षित कब्जे में ले लिया। बाद में उसे सज्जनाड़ बायोलाॅजिकल पार्क में पहुंचा दिया। लैपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, लेकिन वन विभाग ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी रखें।

लाखों की अफीम सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार से 592 ग्राम अविध अफीम बरामद कर हरियाणा निवासी तीन अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम को लक्ष्य बनाया गया। पुलिस को देखकर कार सवार युवक घबरा गए। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखी गई 592 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार में सवार तीनों आरोपियों को नुकुल जाट निवासी कुमाग्रपुर, सोनीपत हरियाणा, विक्की जाट निवासी लुधाना, जिला जौद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया।

अहमदाबाद में उदयपुर के युवक की हमलावरों ने हत्या की

हमलावर ने युवक के पेट में इतने गहरे घाव किए कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के नयागांव उपखंड में बलीचा गांव के एक युवक की सोमवार रात को अहमदाबाद में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमलावर ने युवक के पेट में दो से तीन इतने गहरे घाव किए कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल परिसर में मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अभी तक शव का पोस्टमॉर्टम नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे शव नहीं उठाएंगे। किस वजह से हत्या हुई इसका पता नहीं चला है। मृतक हितेश परिवार में बड़ा बेटा था।

उदयपुर के नयागांव उपखंड में बलीचा गांव के एक युवक की सोमवार रात को अहमदाबाद में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमलावर ने युवक के पेट में दो से तीन इतने गहरे घाव किए कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल परिसर में मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अभी तक शव का पोस्टमॉर्टम नहीं किया गया है। परिजनों का कहना है जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे शव नहीं उठाएंगे। किस वजह से हत्या हुई इसका पता नहीं चला है। मृतक हितेश परिवार में बड़ा बेटा था।

■ घटना के बाद परिजन और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल परिसर में प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

■ मृतक हितेश की दो माह बाद शादी होने वाली थी, जिसकी घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक हुई इस वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया

अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

नापास, (निसं)। रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। उसे राजकीय चिकित्सालय नापासर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार, करीब

50 वर्षीय यह व्यक्ति मुसाफिरखाने के सामने बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। आसपास के लोगों ने तुरंत नापासर पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर नापासर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर रिखब दास मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की।

राजस्थान सरकार
कार्यालय- राजकीय महाविद्यालय करौली (322241)
Email ID-pgcollogokarauli@gmail.com
दिनांक-16.03.2026
क्रमांक-2025-26/519
(E-tender NIB No. 02/2025-26)
Sealed Single Stage Two-envelopes and unconditional online bids for Rate contract for upto 31.03.2027 provide 'Un-Skilled, Semi-Skilled, Skilled And Highly skilled manpower for Government College Karauli area invited from interested bidders upto 27.03.2026 at 01.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal (http://sppg.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 25 Lakh.
UBN NO. ECD2526SLO800624

Principal
Government College, Karauli
DIPRC/5759/2026
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड रामगंज मण्डी (जिला कोटा)
दिनांक-18.03.2026
क्रमांक-1349
निविदा सूचना संख्या 23/2025-2026
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से सहक/भवन कार्य के अप्रकृत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिभूत संभाल/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/इसक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इकाई में पंजीकृत संवेदकों को जिला राजस्थान सरकार के "ए" "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया एवं अनार्वित निविदा निम्न कार्यों की आमंत्रित की जाती है।
निविदा से सम्बन्धित सार्वजनिक वेबसाइट "www.diproline.org", "www.eproc.rajasthan.gov.in" तथा "www.pwd.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
1. PWD2526WSOB25949, 2. PWD2526WSOB25950, 3. PWD2526WSOB25951 (आर.के. मीणा)
4. PWD2526WSOB25952, 5. PWD2526WSOB25953
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड रामगंज मण्डी

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर
दिनांक-17.03.2026
क्रमांक-जि.बा.सं.ई./जालोर/2025-26/733
ई-निविदा सूचना सं. 01/2025-26
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर के अधीन संचालित चाईलड हेल्थ लाईन (098 24x7) सेवा के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर मानव संसाधन (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट) उपलब्ध करने हेतु ई-निविदा के माध्यम से पंजीकृत / रजिस्टर्ड संवेदक / बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।
ई-निविदा का संकेत विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	जॉब बेसिस पदों की संख्या	जॉब बेसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये में)	बोली प्रत्यक्ष शुल्क (रुपये में)	ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	
1	project coordinator	01					
2	counselor	01	20.88 लाख				
3	child helpline supervisors	03			41,760/-	500/-	500/-
4	case worker	03					

NIB NO-CE2526A0114
UBN NO-CE2526SLO800113

क्र. सं.	कार्य विवरण	जॉब बेसिस पदों की संख्या	जॉब बेसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये में)	बोली प्रत्यक्ष शुल्क (रुपये में)	ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	डाक्यूमेंट डानलोड प्रारंभ तिथि एवं समय			17.03.2026		संय 5.00 बजे	
2	बिड सबमिशन स्टार्ट तिथि एवं समय			17.03.2026		संय 5.00 बजे	
3	डाक्यूमेंट डानलोड की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
4	कार्यालय में प्रतिलिपि राशि प्रोसेसिंग फीस एवं टेंडर फीस जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
5	बिड सबमिशन की अंतिम तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.00 बजे	
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय			27.03.2026		संय 5.30 बजे	
7	विजयी बिड खोलने की तिथि एवं समय					Will be intime later to the Technically Qualified Bidders	

निविदा संबंधी विस्तृत सूचना दरखास्त मच यहें <https://sppg.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड की जा सकती है। निविदा <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है।
देशी तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा निविदा प्रतिलिपि राशि का मूल डिमांड इष्टतम जो की Assistant Director, District Child Protection Unit & Child Emp. Department Jalore के नाम एवं जालोर में देया हो कार्यलय में भौतिक रूप से जमा कराया जायेगा तथा निविदा प्रथम शुल्क ऑनलाइन ई-भार से वालान 500/- रूपये Assiant Director, District Child Protection Unit & Child Emp. Department Jalore के नाम से एवं RLSL ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि ऑनलाइन ई-ग्रास से वालान 500/- रूपये Managing Director, RLSL, Jaipur Payable at Jaipur के नाम से हो निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई होगी। यह निविदा निर्धारित तिथि व समय को जो निविदादाता उपस्थित होंगे, के समकक्ष खोली जायेगी।
किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपान समिति को सम्पूर्ण अधिकार होगा। उक्त निविदा के अन्तर्गत चाहा गया कार्य पूर्णतः जॉब बेसिस आधार पर है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है कि उक्त जॉब बेसिस कार्य हेतु संवेदक द्वारा उपलब्ध करावये जाने वाले जॉब बेसिस वर्कर भविष्य में स्थायीकरण / राज्य कर्मचारियों के समकक्ष विविध अथवा अन्य परिलान प्राप्त करने हेतु किसी भी आधार पर विधिक अथवा एथासैतिक रूप से अधिभूत नहीं होगी। यदि इस संदर्भ में जॉब बेसिस वर्करों द्वारा उक्तलक्षण अतिरिक्त निदेश व स्पष्टीकरण के विपरित कोई मांग अथवा विधिक दावा किया जाता है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयास अन्याया प्रयोजनवशा माना जाकर निरकानूनी होगा और इसके लिए संबंधित संवेदक/एम्/एड/एस/डी/डी उतरदायी होंगे, यह कार्यालय/विभाग किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी एवं विधायी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश देने/घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

सहायक निदेशक
DIPRC/5867/2026 जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
दिनांक-25.03.2026
क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/803

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 4 (1) विस./आव/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-सम्बन्धी वित्त 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	28-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

- ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑनलाइन वित्त में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बरिारी पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना पता संकेत। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सद्युक्त राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> पर "Citizen" कटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
- नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
- बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणों के बढाकर बोली लगानी होगी।
- बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकते।
- कलस्टर का जितनेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
- ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajasthan.gov.in> पर बोलीदाता के ऑनलाइन भूतलान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विधिवत प्रकार को तकनीकी समस्याओं से बचा संकेत। ऑनलाइन भूतलान नहीं होने या अनिष्ट तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहे होंगे।
- प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करवानी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करवानी होगी।
- सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करवानी होगी।
- निर्धारित समय में वापिस राशियां यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर सम्पन्न जमा राशि अनवरत की जायेगी।
- यदि 2026-27 का प्रथम अनुवर्षिकी को वर्ष क्रमांक: 2027-28 व 2028-29 से लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
- बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसम्बन्धी वित्त 2025-29 में नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत अन्य कानूनों के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त उच्चा, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
- ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसम्बन्धी वित्त 2025-29 में नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत अन्य कानूनों के अनुसार रहेगी।

DIPRC/2026 आबकारी आयुक्त, उदयपुर